

हरियाणा मंत्रिमंडल वस्तितार को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय का नोटिस चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में नायब संहि सैनी सरकार द्वारा कैबिनेट वस्तितार को चुनौती देने वाली एक [जनहति याचिका \(PIL\)](#) पर केंद्र तथा हरियाणा सरकार से जवाब मांगा।

मुख्य बढि:

- याचिका के अनुसार, राज्य में 90 सदस्यीय सदन है और भारत के संवधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रपरिषद कुल संख्या के 13 (15%) से अधिक नहीं हो सकती है।
- अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नयुक्त राज्यापाल द्वारा की जाएगी।
- जनहति याचिका में आरोप लगाया गया है कि सैनी ने 12 मार्च को पाँच को मंत्री नयुक्त किया, जब उन्होंने 19 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली व आठ और लोगों को नयुक्त किया।
 - [लोक प्रतनिधित्व अधनियम, 1951](#) के तहत मंत्रपरिषद में आठ और लोगों को शामिल करना अवैध, शून्य एवं असंवैधानिक है।

जनहति याचिका (PIL)

- यह मानवाधिकारों और समानता को आगे बढाने या व्यापक सार्वजनिक चर्चा के मुद्दों को उठाने के लिये कानून का उपयोग है।
- "जनहति याचिका" की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है।
- भारतीय कानून में PIL का अर्थ जनहति की सुरक्षा के लिये मुकदमा करना है। यह किसी न्यायालय में पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य नजी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया मुकदमा है।
 - यह न्यायिक सक्रयिता के माध्यम से न्यायालयों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है।
- इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में ही दाखल किया जा सकता है।
- यह रटि याचिका से भिन्न है, जो व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अपने लाभ के लिये दायर की जाती है, जबकि जनहति याचिका आम जनता के लाभ के लिये दायर की जाती है।
- PIL की अवधारणा कानून की मदद से त्वरति सामाजिक न्याय की रक्षा और वतिरण हेतु भारत के संवधान के अनुच्छेद 39 A में नहति सदिधांतों के अनुकूल है।
- वे क्षेत्र जहाँ जनहति याचिका दायर की जा सकती है: प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, नरिमाणात्मक खतरे आदि।